कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
08 नबंबर 2013

"पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तिमाही 2 वित्त वर्ष 14 कॉफ्रेंस कॉल"

08 नबंबर, 2013

Power Finance Corporation Ltd.
A Govt. of India Undertaking

CHORUSCALL®

विश्लेषक : श्री अभिषेक मुरारका

प्रबंधन : श्री एम के गोयल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कांफ्रेंस कॉल ट्रांस्क्रिप्ट
08 नबंबर 2013

मॉडरेटर : देवियों और सज्जनों, सुप्रभात। आईआईएफएल केपिटल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित तिमाही 2 वित्त वर्ष, 2014 अर्निंग कांफ्रेंस काल में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कांफ्रेंस कॉल की अवधि के लिए अनुस्मारक के रूप में सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल लिशिन-ओनली मोड में होंगी। प्रेजेंटेशन पूरा होने पर आप सभी को अपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि आपको इस कांफ्रेंस के दौरान किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है कृपया अपने टच फोन में "*" दबाने के बाद "0" दबाकर ऑपरेटर को संकेत करें। अब मैं कांफ्रेंस के संचालन/आईआईएफएल केपिटल लिमिटेड से श्री अभिषेक मुरारका को सौंपता हूं। धन्यवाद और श्री अभिषेक कृपया आगे आएं।

अभिषेक मुरारका: धन्यवाद। नमस्कार और पीएफसी की तिमाही2 वित्त वर्ष 2014 की अर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस कांफ्रेस कॉल में श्री एम के गोयल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) का स्वागत करता हूं और एक बेहतर तिमाही के लिए बधाई देता हूं। कांफ्रेंस का शुभारंभ प्रबंधन द्वारा आरंभिक अभ्युक्ति से किया जाएगा जिसके पश्चात प्रश्नोत्तर दौर चलेगा। अब मैं श्री गोयल को आरंभिक उदबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। महोदय कृपया आगे आएं।

एम के गोयल: सभी को नमस्कार। इस अवसर पर मैं आप सभी को पीएफसी के अन्य व्यवसायिक कार्यकलापों के विकास सहित तिमाही 2 वित्त वर्ष 2013-14 के वित्तीय परिणामों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको विद्युत क्षेत्र में हुए कुछ सकारात्मक विकास से अवगत कराना चाहूंगा। मैं अपनी बात संक्षेप में लगभग 20 मिनट अथवा इसके आस-पास के समय में रखना चाहूंगा और मुझे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। वर्ष दर वर्ष आधार पर हमारी ऋण परिसंपत्ति में 22% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 140,819 करोड़ रुपए से बढ़कर 172,051 करोड़ रुपए हो गई। ऋण परिसंपत्ति से होने वाली हमारी आय में तदनुसार 27% की वृद्धि हुई है और इस तिमाही में यह 4,191 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,337 करोड़ रुपए हो गई है।

हमारी ब्याज से होने वाली निबल आय में 43% की वृद्धि हुई है, यह 1475 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,111 करोड़ रुपए हो गई है। यह मुख्यत: 86 बीपीएस की वृद्धि

के साथ ब्याज दर में 2.74% की तुलना में 3.60% की वृद्धि, ऋण लागत में कमी, गत अवधि के दौरान औसत यील्ड की तुलना में उच्च दर पर नए संवितरण और मौजूदा ऋण परिसंपत्तियों के उच्च दर पर पुन: मूल्य निर्धारण के कारण अतिरिक्त आय के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है।

इस तिमाही के लिए हमारी पीएटी 23% की वृद्धि के साथ 1036 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,274 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि यदि हम असाधारण मदों जैसे विदेशी विनिमय हानि, मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान आदि को निकाल दें, तो हमारे सामान्य व्यापारिक प्रचालन से होने वाले लाभ में वास्तविक रूप से 36% की वृद्धि हुई और 1,096 करोड़ रुपए से बढ़कर 1465 करोड़ रुपए हो गया। जहां तक एनपीए का संबंध है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस तिमाही में हमने कोई नया एनपीए खाता नहीं खोला है।

वास्तव में वर्ष दर वर्ष आधार पर हमारे सकल एनपीए में 30 बीपीएस की कमी हुई है और यह 0.97% से घटकर 0.67% हो गया है। इसी प्रकार हमारे निबल एनपीए में 32 बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई है और यह 0.86% से घटकर 0.54% हो गया है। 30-09-2013 को हमारा सकल एनपीए 1158 करोड़ रुपए है। हमने 236 करोड़ रुपए का प्रावधान इस तिमाही के लिए (महेश्वर के लिए 72 करोड़ रुपए के ऋण सहित) पहले ही कर लिया है, इस प्रकार 922 करोड़ रुपए का निबल एनपीए का प्रावधान कर लिया गया है।

इसके अलावा जैसा आपको ज्ञात है कि हमने 0.25% का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से चरणबद्ध ढंग से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करना प्रारंभ कर दिया है। इस मद में हमने इस तिमाही तक पहले ही 236 करोड़ रुपए का प्रावधान कर लिया है, हमने इस तिमाही के अंत तक 1532 करोड़ रुपए के अयोग्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए एक आरक्षित धनराशि तैयार की है।

जहां तक हमारे व्यवसायिक निष्पादन का संबंध है, तो हमने विभिन्न लक्ष्यों के लिए वर्ष 2013-14 में भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चालू वर्ष के दौरान स्वीकृतियों के लिए निर्धारित लक्ष्य 59000 करोड़ रुपए और संवितरण के लिए 47000 करोड़ रुपए है। स्वीकृतियों के लिए लक्ष्य की तुलना में एच 1 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लक्ष्य 27.425 करोड़ रुपए है, जो

वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 46% है।

जहां तक वर्ष दर वर्ष स्वीकृतियों में वृद्धि का संबंध है, यदि हम एच 1 वित्त वर्ष 2013-14 में वर्ष दर वर्ष आधार पर पारगमन ऋण स्वीकृति को हटा देते हैं क्योंकि वे विशेष उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं तो एच 1 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इसमें 9% की वृद्धि हुई है, और यह 25102 करोड़ रुपए से बढ़कर 27425 करोड़ रुपए हो गया है।

संवितरण के लक्ष्य की तुलना में एच 1 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 18012 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 38% है। जैसा आपने पहले भी नोट किया होगा कि संवितरण का रुझान हमेशा इस प्रकार रहा है कि वर्ष की दूसरी छमाही में पहल छमाही की तुलना में काफी अधिक संवितरण किया गया है। अत: हम अपने संवितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आशंकित हैं। इस आशावाद के पीछे 1.63 लाख करोड़ रुपए की बकाया स्वीकृतियां हैं, जिनका संवितरण अभी किया जाना है।

इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों, जिनका भारत सरकार द्वारा संजीदगी से समाधान किया जा रहा है, के बावजूद भी संवितरण में पहली छमाही में 3% की वृद्धि दर्शाई गई है और इसके बारे में अपनी वार्ता के उत्तरार्ध में चर्चा करुंगा। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर एक बार पुन: पारगमन ऋणों को छोड़कर संवितरण में 21% की वृद्धि हुई है और यह 7572 करोड़ रुपए से बढ़कर 9192 करोड़ रुपए हो गया है।

जहां तक पूंजीगत पर्याप्तता का संबंध है, तो आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित 15% के सतर की तुलना में इसके आंकड़े 18-70% है और इस प्रकार भावी व्यापार वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है। जहां तक वित्तीय आंकड़ों का प्रश्न है तो मैं आप सभी को तिमाही दर तिमाही और अर्धवार्षिक आंकड़ों की अलग-अलग जानकारी दूंगा ।

जहां तक तिमाही दर तिमाही आंकड़ों का संबंध है, पीएटी में 23% की वृद्धि हुई है अर्थात यह 1036 करोड़ रुपए से बढ़कर 1274 करोड़ रुपए हो गया है। तुलनात्मक पीएटी में 36% की वृद्धि हुई है। अर्थात यह 1096 करोड़ रुपए से बढ़कर 1485

रुपए हो गया है। आय 27% की वृद्धि के साथ 4191 करोड़ रुपए से बढ़कर 5337 करोड़ रुपए हो गई है। ब्याज से निबल आय 43% की वृद्धि के साथ 1475 करोड़ रुपए से बढ़कर 2111 करोड़ रुपए हो गई है। विस्तार 80 बीपीएस के साथ 2.74% से 3.60% हो गया है। एनआईएम 76 बीपीएस के साथ 4.28% से 5.04% हो गया है।

जहां तक एच 1 वित्त वर्ष 2013 बनाम एच 1 वित्त वर्ष 2014 की अवधि के लिए आंकड़ों का संबंध है तो 23% की वृद्धि के साथ पीएटी 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2849 करोड़ रुपए है।

आय 27% की वृद्धि के साथ 8136 करोड़ रुपए से बढ़कर 10354 करोड़ रुपए हो गई है। ब्याज से होने वाली निबल आय 41% की वृद्धि के साथ 2869 करोड़ रुपए से बढ़कर 4065 करोड़ रुपए हो गई है। विस्तार 76 बीपीएस के साथ 2.68% से बढ़कर 3.44% हो गया है। एनआईएम 76 बीपीएस के साथ 4.23% से बढ़कर 4.90% हो गया है।

जहां तक संसाधनों के दोहन का संबंध है तो इसे हमने 8.36% प्रति वर्ष की आंशिक (मार्जिनल) लागत पर एच 1 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 16000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। पीएफसी को इस वर्ष 5000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड आवंटित किए गए हैं और हमने इस सप्ताह के 5 नवंबर को सार्वजनिक इश्यू को बंद करके संपूर्ण राशि सफलतापूर्वक अर्जित कर ली है। उपर्युक्त के अलावा यह वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ऋण लागत को कम करने में भी सहायक होगा।

जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हम भारत सकरार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पुनर्गठित एपीडीआरपी, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। मैं आप सभी को भारत सरकार के इन प्रयासों की प्रगति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

जहां तक आर-एपीडीआरपी, भारत सकरार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम का संबंध है, तो इसका उद्देश्य समेकित तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को 15% से नीचे लाना है और सरकार का यह कार्यक्रम भली-भांति प्रगति कर रहा है तथा

परियोजना के भाग-क और भाग-ख के अंतर्गत सभी पात्र परियोजनाओं के लिए 37,190 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि पहले ही स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें से 7017 करोड़ रुपए की राशि पहले ही राज्य की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित कर दी गई है।

इसके अलावा पीएफसी सहित बहुत से वित्तीय संस्थानों द्वारा 13859 करोड़ रुपए की समकक्ष निधियां स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 728 करोड़ रुपए की राशि पहले ही संवितरित कर दी गई है।

यह योजना अब त्वरित गति से चल रही है और भाग-क के अंतर्गत कुल 1398 कस्बों में से 413 कस्बों में वितरण प्रणाली के सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण का कार्यान्वयन पहले ही कर दिया गया है। भाग-ख, जिसमें वितरण प्रणाली का वास्तविक रूप से उन्नयन किया जाना है, का कार्यान्वयन कुल 1200 पात्र कस्बों में 923 कस्बों में शुरू कर दिया गया है। हमें आशा है कि संपूर्ण आर-एपीटीआरपी कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा हो जाएगा। जहां तक, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का संबंध है तो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की मामला-II बोली प्रक्रिया के लिए बोली संबंधी नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

बोली दस्तावेजों में किए गए प्राथमिक परिवर्तन यह है कि अब परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और परियोजना का निर्माण और प्रचालन डिजाइन, बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट और ट्रांसफर अर्थात डीबीएफओटी आधार पर किया जाएगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंधन के मूल्यों की अनिश्चितता के समाधान हेतु उपयुक्त सुरक्षोपाय के साथ ईंधन प्रभार को एक पास थ्रू बनाया गया है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि यह ऐसा मुद्दा था, जिसे हमारी उन पूर्ववर्ती चार यूएमपीपी के मामले में एक चिंता का कारण माना गया, जो अब सफल विकास कर्ताओं को सफलता पूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। संशोधित मानक बोली दस्तावेजों के आधार पर हमने दो यूएमपीपी अर्थात उड़ीसा यूएमपीपी और चेय्यूर यूएमपीपी के लिए क्रमश: 25 और 26 सितंबर को आईएफक्यू पहले ही जारी कर दिए हैं और हमने दिल्ली तथा सिंगापुर में पूर्व अर्हता सम्मेलन आयोजित किए हैं।

उड़ीसा यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू प्रस्तुत करने की तारीख 11 नबंबर, 2013 से बढ़ाकर 25 नबंबर, 2013 तथा चेय्यूर यूएमपीपी के लिए 28 नबंबर, 2013 कर दी गई है। अभी तक दोनों यूएमपीपी के लिए 10 कंपनियों ने आएफक्यू दस्तावेज पहले ही खरीद लिए हैं। इसके अलावा 9 यूएमपीपी के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और उनका विकास विभिन्न चरण पर है।

स्वतंत्र पारेषण योजना में (आईटीपी) के बारे में आपको अवगत कराया जाता है कि 4 आईटीपी पहले ही स्थानांतरित कर दी गई हैं। 4 अतिरिक्त स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य आईटीपी के विकास की प्रक्रिया विभिन्न चरणों पर है।

अब मुझे आपको विद्युत क्षेत्र के सकारात्मक विकास के बारे में अवगत कराना चाहिए। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार ने राज्य की वितरण कंपनियों की कमजोर वित्तीय हालत की समस्या के समाधान के लिए अक्टूबर 2012 में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) स्कीम अधिसूचित की है। आरंभ में 13 राज्यों ने इस योजना में भाग लेने हेतु रुचि दर्शायी है, जिनमें से 4 राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु ने अपने-अपने राज्य विधान मंडलों द्वारा इस योजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया है और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे तीन राज्यों ने बांड जारी करना शुरू कर दिया है तथा उनके बैंकों ने भी ऋणों का पुनर्गठन प्रारंभ कर दिया है।

इसके अलावा दो राज्य अर्थात हिमाचल और मेघालय में एफआरपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 4 अन्य राज्यों अर्थात झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एफआरपी में किए गए कुछ बिलेखों (शर्तों) को पूरा करने में आ रही परेशानियों के कारण एफआरपी में भाग नहीं ले सकते हैं। दो राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश और पंजाब को पैकेज में आरक्षण प्राप्त है और केरल इसके लिए पात्र नहीं है क्योंकि एफआरपी के लिए विद्युत बोर्डों को भंग करना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत यथापरिकल्पित मॉडल राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन जिम्मेदारी विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार की स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां तय करते हुए राज्य की

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को वित्तीय और प्रचालनात्मक परिवर्तन तथा दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान की जाए।
जहां तक टैरिफ संशोधन का संबंध है, तो असम को छोड़कर सभी राज्यों ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान टैरिफ बढ़ाया है। इस वर्ष के दौरान 29 राज्यों में से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 23 राज्यों ने पहले ही टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें टैरिफ को 31% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक विद्युत क्षेत्र में सुधारों का संबंध है, तो यह वास्तव में बहुत ही अच्छा संकेत है।

आर-एपीडीआरपी, एफआरपी के तेजी से कार्यान्वयन और राज्यों द्वारा नियमित रूप से टैरिफ बढ़ाये जाने के कारण हमें आशा है कि आनेवाले समय में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

जहां तक कोयले की समस्या का प्रश्न है, तो उस दिशा में सकारात्मक विकास किये जा रहे हैं। तिमाही-2 वित्त वर्ष 2014 में कोयले के उत्पादन में 9.6% की वृद्धि हुई है और अंतिम वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विद्युत क्षेत्र को 7% अधिक कोयला आपूर्त किया गया।सितंबर 2013 में कोयले के उत्पादन में 15.6% की वृद्धि हुई है और सितंबर 2012 की तुलना में विद्युत क्षेत्र को 9% अधिक कोयला आपूर्त किया गया।

सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए कोयला ब्लॉक के आवंटन हेतु कार्यप्रणाली का अनुमोदन किया है, जिससे कोयला आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार के इस प्रयास से पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए कोयला खनन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बोली लगाने का अवसर मिलेगा। कोयला ब्लॉकों की नीलामी एक रुपए प्रति टन आधार पर उत्पादन संबद्ध भुगतान और कोयला ब्लॉक के इंट्रिंसिक मूल्य के 10% आधारभूत अपफ्रंट भुगतान पर आधारित होगा।

इसके अलावा गैस की उपलब्धता के संबंध में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने 31.5 एमएमएससीएमडी के वर्तमान स्तर पर उर्वरक क्षेत्र को कुल घरेलू गैस आपूर्ति प्रतिबंधित करने और वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक सभी अतिरिक्त घरेलू गैस विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय किया है जिससे कि गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को नियमित रूप से गैस

की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत मंत्रालय गैस पुलिंग और छूट तंत्र प्रस्तावित कर रहा है जिसका आशय यह है कि सरकार घरेलू और आयातित गैस की पुलिंग के मद में आनेवाली अतिरिक्त लागत में छूट प्रदान करेगी, जिसका अनुमोदन हो जाने पर गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को राहत महसूस होगी।

मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से विद्युत क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य में बेहतर सुधार होगा। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर का दौर शुरू कर सकते हैं। पुन: धन्यवाद ।

मॉडरेटर : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे।

अभिषेक मुरारका: महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि क्या आप हमें महेश्वर परियोजना के बारे में अद्यतन जानकारी दे सकते हैं, जिसके लिए आपने पुन: 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, अत: क्या आप इस संबंध में हमें अद्यतन स्थिति से अवगत करा सकते हैं ? परियोजनाओं की क्या स्थिति है और कोई परियोजना विशेष रूप से लैंको अथवा अन्य के बारे में अवगत करायें, जिसके संबंध में शीघ्र ही ऋण का पुनर्गठन किया जाना है?

आर नागराजन: महेश्वर परियोजना मार्च 2012 में एनपीए हो गई, अत: उस समय हमने लगभग 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था क्योंकि शर्तों के अनुसार हमें 10% की दर से प्रावधान करना था। उस समय से हमने इसे मानक परिसंपत्तियों के बजाय अमानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया, चूंकि 18 माह बीत गये हैं, अत: शर्तों के अनुसार इस मद में हमने 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ के निर्धारण हेतु एक समिति गठित की है जो ऋणदाता को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी कि परियोजना व्यवहार्य है अथवा नहीं। परियोजना सीसीआई के भी नियंत्रणाधीन है जो नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रहा है। कल उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल के साथ भी एक बैठक की थी कि परियोजना का कितना कार्य पूरा हो चुका है, ज्ञात हुआ है कि इसका लगभग 98% सिविल कार्य पूरा हो गया है। सीसीआई द्वारा गठित की गई समिति के टैरिफ निर्धारित करने के पश्चात सभी

ऋणदाताओं द्वारा पश्चवर्ती परिकलन किया जाएगा। आशा है कि इस तिमाही के अंत तक अथवा मार्च 2014 तक इस बारे में कुछ और जानकारी दी जा सके और इससे संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान किया जा सके।

एम के गोयल: सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा टैरिफ का निर्धारण है जो वर्तमान लागत और मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा टैरिफ की स्वीकार्यता पर आधारित होगा। अत: इस संबंध में लगातार चर्चाएं की जा रही हैं और हमें आशा है कि मध्यप्रदेश सरकार को स्वीकार्य टैरिफ शीघ्र ही निर्धारित कर लिया जाएगा और तदनुसार यह पुनर्गठन किया जाएगा और परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक बकाया निधियों के संबंध में वित्तीय योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अभिषेक मुरारका: ठीक है, क्या लैंको, जिसके संबंध में इस तिमाही के दौरान ऋण का पुनर्गठन किया जा रहा है, के बारे में कुछ जानकारी देंगे?

आर नागराजन: लैंको समूह से लैंको इंफ्राटेक ने सीआरडी के लिए प्रयास किया है, परंतु हमने इसका निधियन नहीं किया है।

अभिषेक मुरारका: महोदय, धन्यवाद ।

मॉडरेटर: धन्यवाद । अगला प्रश्न कोटक सिक्योरिटीज से निश्चिंत छवाथे की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

निश्चिंत छवाथे : मैं अपनी बात एक छोटे से प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं। मैं यह समझना चाहता हूं कि तिमाही के दौरान प्रचालन व्यय बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं?

आर नागराजन: यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से सीएसआर व्यय के तरीकों में परिवर्तन के कारण हुई है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के दृष्टिकोण के आधार पर पहले हमने आरक्षित निधियों में राशि आवंटित की। अब संशाधित दिशानिर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि यदि आप आवंटित राशि को तीन वर्ष के भीतर खर्च नहीं कर सकते हैं, तो शेष राशि भारत सरकार

को हस्तांतरित की जाए । अत: यह राशि स्पष्ट रूप से एक देयता हो जाती है और जहां तक लेखांकन मानक (एएस)- 29 का संबंध है तो इसके लिए हमें एक प्रावधान करना होगा ताकि पिछले वर्ष तक संचित आरक्षित निधियों को आरक्षित रखा जा सके और इसके अलावा इस वर्ष हमें पिछले तीन वर्ष के आवंटन के लिए भी प्रावधान करना होगा। वास्तव में इस वर्ष के लिए 22 करोड़ रुपए और पिछले वर्ष के लिए 19 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया जो 41 करोड़ रुपए तक के व्यय और अन्य खर्चों को स्पष्ट करता है।

निश्चिंत छवाथे: ठीक है, मैं केवल यह समझना चाहता हूं कि पहली छमाही के दौरान आपके द्वारा कौन सी बड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। क्या आपको ज्ञात है कि पहली परियोजना एमपी पावर की सतपुरा परियोजना है, जो कुछ समय पहले एक गैर निष्पादन परियोजना थी?

एम के गोयल : मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि एनपीए खाता एमपी पावर (27 करोड़ रुपए बकाया राशि) का है और एमपी पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश सरकार की एक कंपनी है, को वर्तमान में 3720 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

निश्चिंत छवाथे: क्षमा चाहता हूं, मैं पुन: यह जानना चाहता हूं क्योंकि कंपनी के नाम को लेकर मेरे मन में कुछ भ्रम है।

निश्चिंत छवाथे: वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कितने ऋणों का पुनर्गठन किया जाएगा?

एम के गोयल: ऋण की बकाया राशि 4292 करोड़ रुपए है, जिसका पुनर्गठन किया गया है। उपर्युक्त ऋण में से ओएनजीसी त्रिपुरा (2054 करोड़ रुपए), जिसकी पहली युनिट स्थापित कर ली गई है और शेष 2 परियोजनाएं मार्च तक स्थापित कर ली जाएंगी। अन्य ऋण सुजलोन इनर्जी (983 करोड़ रुपए), एमपी पावर कंपनी (27 करोड़ रुपए), पार्वती कोलडैम (271 करोड़ रुपए), और इंडियाबुल्स पावर (957 करोड़ रुपए) है।

निश्चिंत छवाथे: ठीक है, तिमाही के दौरान क्या किसी नए ऋण का पुनर्गठन किया गया है?

एम के गोयल: इस तिमाही के दौरान पार्वती कोलडैम (271 करोड़ रुपए) और इंडियाबुल्स पावर (957 करोड़ रुपए) का पुनर्गठन किया गया।

निश्चिंत छवाथे: अन्य प्रश्न, वास्तव में यह उन आंकड़ो से संबंधित है, जो आपने एसईबी की हानियों के संबंध में प्रकाशित किए थे और इस संबंध में मुझे विश्वास है कि एसईबी की हानियों के बारे में कोई विवरण पुन: दिया गया था जो पहले दिए गए विवरण के पुटआउट के रूप में था, अत: मैं इस संबंध में एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है? उन्होंने लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की हानियों का विवरण दिया था, मैं समझता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है?

आर नागराजन: जैसा हमारे सीएमडी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि विद्युत क्षेत्र में बहुत से सुधार किए गए हैं, 29 राज्यों में से 23 राज्यों ने इस वित्त वर्ष में अपने अपने टैरिफ बढ़ा लिए हैं। जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने एफआरपी को अपनाया है। राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने पहले ही अपने बैंकों को बांड जारी कर दिये हैं तथा उन्हें सभी बैंकों से निधियां भी प्राप्त हुई हैं। हरियाणा भी बांड जारी करने की प्रक्रिया में है। एक बार इन चारों राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हो जाने से प्रणाली में तरलता अपने आप ही बढ़ जाएगी। जैसा हमारे सीएमडी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्य भी हैं जो इस दिशा में रूचि दर्शा रहे हैं तथा विद्युत मंत्रालय भी इन सभी राज्यों के लिए संशोधित एफआरपी के अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल में पुन: प्रस्ताव रखने पर विचार कर रहा है क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2013 निकल चुकी है। इस प्रकार ऐसा हो जाने और टैरिफ वृद्धि तथा सरकार की बजटीय सहायता प्राप्त होने पर निश्चित ही थोड़े समय में वितरण कंपनियों की हानि कम हो जानी चाहिए। तमिलनाडु एफआरपी से 20167-17 या 2017-18 तक ही अलग हो सकता है जबकि उत्तर प्रदेश 2014 तक ऐसा कर सकता है। इस प्रकार वितरण कंपनियों की हानियां तो अवश्य रहेंगी परंतु उनमें धीरे-धीरे कमी होगी। सीएमडी द्वारा आर-एपीडीआरपी के बारे में स्पष्ट किया गया है, इसका कार्यान्वयन पूरा हो जाने के पश्चात इनकी हानियों में भारी कमी होगी और इससे वितरण कंपनियों के राजस्व सृजन में भी सुधार होगा।

एम के गोयल: मुझे आप लोगों को इस बात से अवश्य अवगत कराना चाहिए कि आर-एपीडीआरपी में केवल 400 कस्बों में आईटी परियोजनाओं को पूरा करने और प्रशासनिक उपाय करने से लगभग 8 अथवा 9 वितरण कंपनियों ने अपनी हानियों को 2% से 20% तक पहले ही कम कर लिया है। हानियों में यह कमी आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के कार्यान्वयन के बिना महज प्रशासनिक उपाय करने से हुई है, जो एटी और सी हानियों को कम करने के लिए वास्तविक रूप से प्रणाली उन्न्यन से जुड़ी योजना है। अत: आर-एपीडीआरपी के इस कार्यान्वयन से वितरण कंपनियों की हानियों में भारी कमी होने की संभावना है।

निश्चिंत छवाथे: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर : धन्यवाद। अगला प्रश्न क्रिसिल लिमिटेड से जय मुंद्रा का है। कृपया अपनी बात कहें।

जय मुंद्रा : महोदय, नमस्कार। आपके आरंभिक उदबोधन में आपने उल्लेख किया था कि आपने ऋण दरों में वृद्धि की है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऋण दरों में कितनी वृद्धि की गयी है?

एम के गोयल: नहीं, मैंने ऋण दरों में वृद्धि की बात कदापि नहीं कही है। मैंने जिस बात पर जिक्र किया था, वह यह है कि ब्याज विस्तार में 86 बीपीएस
की वृद्धि की गई है और यह 2.74% से बढ़ाकर 3.60 % कर दिया गया है। यह ऋण प्राप्त करने की लागत घटने और गत वर्ष के दौरान यील्ड की तुलना में अधिक दरों पर नए संवितरण और मौजूदा ऋण परिसंपत्तियों के उच्च दरों पर पुनर्मूल्यांकन से होने वाली अतिरिक्त आय के कारण किया गया है। हमने अपनी दरें नहीं बढ़ायी हैं।

जय मुंद्रा : अत: क्या इस तिमाही के दौरान ऋण दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है?

एम पी गोयल: हमने दरों में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की है।

जय मुंद्रा: ठीक है, क्या इस तिमाही के दौरान कोई नयी एनपीए है क्योंकि संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है?

एम के गोयल: मैंने आप सभी को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि महेश्वर परियोजना के लिए हमने 10% का अतिरिक्त प्रावधान किया था क्योंकि जिस अवधि के लिए इसे अमानक परिसंपत्ति माना गया था उसके बाद 18 माह की अवधि बीत चुकी है। हमने इसके लिए पहला प्रावधान मार्च 2012 में किया था। अब 18 माह बीत चुके हैं और हमें 10% का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा जिसके कारण एनपीए बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि मानक परिसंपत्तियों के मामले में आरबीआई ने ऐसे दिशानिर्देश लागू किए हैं कि इस वित्त वर्ष में सृजित नए ऋणों पर हमें सीधे 0.25% का प्रावधान करना है। हमने तीन वर्ष के अवधि के लिए क्रमश: 0.8%, 0.8% और 0.9% का प्रावधान करने की योजना बनाई थी परंतु आरबीआई ने ऐसे दिशानिर्देश जारी किए हैं कि नए ऋणों के लिए आपको तत्काल 0.25% की दर से प्रावधान करना अनिवार्य है।

जय मुंद्रा: नहीं, मैं वास्तव में एनपीए के सकल आंकड़े जानना चाहता था, जो 1150 करोड़ रुपए से थोड़ी वृद्धि के साथ 1158 करोड़ रुपए हो गया है। अत: मैं केवल इतना समझना चाहता हूं कि क्या इस तिमाही के दौरान कोई नयी एनपीए घोषित की गई है?

एम के गोयल: नहीं, इस तिमाही के दौरान कोई नयी एनपीए नहीं घोषित की गई है। कोनासीमा के मामले में हमने विदेशी मुद्रा ऋण भी दिया है और विदेशी मुद्रा परिवर्जन दरों में अंतर के कारण इसकी राशि बढ़ गई।

जय मुंद्रा: ठीक है, क्या इस तिमाही के दौरान किए गए पुनर्गठन में एक तो इंडियाबुल्स पावर था और दूसरा क्या था तथा कितनी राशि का पुनर्गठन किया गया था?

एम के गोयल: इस तिमाही के आंकड़ों में पार्वती कोलडैम के लिए 271 करोड़ रुपए और इंडियाबुल्स पावर के लिए 957 करोड़ रुपए शामिल हैं और दोनों मामलों में पुनर्गठन का कारण इनकी स्थापना में होने वाला विलंब है।

जय मुंद्रा: क्या अनुमानत: यह 1100 करोड़ रुपए है, जिसका पुनर्गठन किया गया है?

एम के गोयल: तिमाही 2 वित्त वर्ष 14 के दौरान 1228 करोड़ रुपए का पुनर्गठन किया गया है।

जय मुंद्रा: इंडियाबुल्स पावर के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह परियोजना आधारित अधिकार के रूप में है, क्या यह कारपोरेट ऋण नहीं है, क्या यह परियोजना आधारित ऋण है?

एम के गोयल: पारगमन ऋणों और अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर पीएफसी द्वारा दिए गए सभी ऋण परियोजना संबंधी ऋण हैं।

जय मुंद्रा: क्या यह एकल विद्युत परियोजना है?

एम के गोयल: यह अमरावती परियोजना है और इसकी एक युनिट पहले ही स्थापित कर ली गई है।

जय मुंद्रा: ठीक है। महोदय, अंत में मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋणों की कितनी प्रतिशत राशि, मेरा आशय है कि ऋण बही में कितनी राशि इस वित्त वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित की जाएगी?

एम के गोयल: वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में परिसंपत्तियों का पुनर्निधारण लगभग 16201 करोड़ रुपए है और देनदारियों का पुनर्निधारण 27735 करोड़ रुपए के रूप में किया गया है।

जय मुंद्रा: अगले वर्ष स्थिति क्या होगी? क्या मैं यह जान सकता हूं कि महोदय अगले वर्ष भी देनदारी इतनी ही होगी?

एम के गोयल: अगले वर्ष 45422 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का पुनर्निधारण किया जाएगा। जहां तक देनदारियों का संबंध है, तो बांड जैसी फ्लोटिंग दर वाली कुछ देनदारियों का एक निर्धारित अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और आवधिक ऋणों

जैसी फ्लोटिंग दर वाली कुछ देनदारियों का तब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जब बैंक आधारभूत दर में परिवर्तन करता है और वित्त वर्ष 2014-15 में पुनर्मूल्यांकन के लिए इसे देनदारी मानते हुए कुल देनदारी 43160 करोड़ रुपए है।

जय मुंद्रा: धन्यवाद। इससे मुझे काफी सहायता मिली। एक बार पुन: धन्यवाद ।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न जेएम फाइनेंसियल से अमय साथे की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

अमय साथे: महोदय, पुनर्गठित ऋण बही में बकाया संख्या क्या होगी?

एम के गोयल: अप्रैल 2005 से सितंबर 2013 तक पुन: अनुसूचित निजी क्षेत्र के ऋणों की 30-09-2013 को बकाया राशि 11541 करोड़ रुपए है।

अमय साथे: दूसरा प्रश्न संवितरण से संबंधित है, तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र को तेजी से संवितरण किया गया है, क्या ऐसी कोई बड़ी परियोजना है जिसे आपने वित्तीय सहायता प्रदान की हो?

एम के गोयल: तिमाही 2 वित्त वर्ष 2013-14 में निजी क्षेत्र की जिन शीर्ष कंपनियों को संवितरण किया गया, उनके विवरण इस प्रकार हैं: आरकेएम पावरजेन-1008 करोड़ रुपए, जीवीके रैटिल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट - 817 करोड़ रुपए, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन-238 करोड़ रुपए, एनसीसी पावर प्रोजेक्ट- 180 करोड़ रुपए, अदानी पावर महाराष्ट्र- 173 करोड़ रुपए , ईस्ट कॉस्ट इनर्जी- 129 करोड़ रुपए, भुवनेश्वर पावर -113 करोड़ रुपए और इंडियाबुल्स पावर- 93 करोड़ रुपए।

अमय साथे: संचित स्वीकृतियों के संदर्भ में पिछली दो-तीन तिमाही के दौरान संख्या घटी है। अत: क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आगे चलकर ऋण वृद्धि भी कम हो सकती है?

आर नागराजन: हमारे सीएमडी ने आपको पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि 30-09-2013 की

स्थिति के अनुसार बकाया स्वीकृतियां लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपए है और पिछले आंकड़े की तुलना में इसमें कमी हुई है, परंतु यदि आप देखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में विकासकर्ताओं के लिए परेशानी पैदा करने वाले तीन प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल समिति ने कोल इंडिया को एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है और उन्होंने लगभग सभी एफएसए पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। दूसरी बात यह है कि वितरण कंपनियों के लिए एफआरपी लागू की गई है ताकि प्रणाली में तरलता बनाए रखने के लिए सुधार किया जा सके और सीसीईए भी वित्त मंत्रालय से संबंधित सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने में आनेवाली समस्याओं का समाधान कर रही है। अप्रैल 20911 के पश्चात स्वीकृति किए गए कुछ ऋणों के लिए हमने एक शर्त लागू की थी कि उन्हें संवितरण किए जाने से पहले एफएसए अथवा पीपीए को लागू करना होगा। चूंकि कोल इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित एफएसए बढ़ा दिए गए हैं अत: धीरे-धीरे ये सभी परियोजनाएं संवितरण के लिए हमें प्राप्त होंगी साथ ही कुछ नई परियोजनाएं भी मिलेंगी। मैं संख्या का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, परंतु हमने आज की बोर्ड बैठक में भी कुछ स्वीकृतियां दी हैं। कल मंत्री जी के साथ हुई बैठक का फीडबैक यह है कि विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे बुरा दौर गुजर गया है और हमें इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र के लिए बुरा समय जा चुका है और लोगों ने विद्युत क्षेत्र में अपने पैसे का निवेश करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, अत: धीरे-धीरे स्वीकृतियां बढ़ेंगी। इसके अलावा स्थापित कर ली गई कुछ परियोजनाओं के लिए भी पुन: वित्तीय सहायता दी जा रही है और कुछ राज्य क्षेत्र के बोर्डों से भी पुन: वित्त पोषण के लिए हमसे अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा आगे चलकर कुछ नए राज्यों द्वारा इन सभी एफआरपी को अपनाया जाएगा और एफआरपी के निधियन हेतु हो सकता है कि ये नए राज्य भी हमसे सहायता मांगें। अत: कुछ समय पश्चात इस विचार को बल मिलेगा।

अमय साथे: अंतिम प्रश्न, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में चर्चा की थी, अत: इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले क्या इस संदर्भ में आरबीआई के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है?

एम के गोयल: पीएफसी की विवेकपूर्ण शर्तों में ऋणों के पुनर्गठन अथवा पुन: अनुसूचियन के बारे में एक खंड है, अत: हमने इस मुद्दे को एमओपी के साथ-साथ आरबीआई के साथ

भी उठाया है। आरबीआई ने हमें बताया है कि पुनर्गठन अथवा पुन: सूचियन या फिर से मोलभाव के लिए शीघ्र ही नये दिशानिर्देश आ सकते हैं। अत: नए दिशानिर्देश लागू हो जाने पर हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि यह हमारे लिए लागू होगी अथवा नहीं और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों अथवा आईएफसी को इससे छूट प्रदान की जाएगी अथवा नहीं। अत: आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि दिशानिर्देश किस प्रकार के होंगे, परंतु इस संबंध में हम आरबीआई के साथ चर्चा अवश्य कर रहे हैं।

अमय साथे: उत्तर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न आनंद राठी से कैटव शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

कैटव शाह: बेहतर आंकड़ों के लिए बधाई और मेरा प्रश्न स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैं केवल इतना समझना चाहता हूं कि पुनर्गठन बही में बैंकिंग दिशानिर्देश के अनुसार राशि क्या है और संपूर्ण राशि क्या है?

एम के गोयल: स्थापना की तारीख को आगे बढ़ाये जाने के कारण जिन ऋणों की अनुसूची पुन: तैयार की गई है, उनकी बकाया राशि 10,192 करोड़ रुपए है। ऐसे ऋण जिनका ऋणकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका और फिर हमने ऋण के पुनर्भुगतान को सुकर बनाने के लिए उनका पुनर्गठन किया है, की बकाया राशि 1348 करोड़ रुपए (एमपी पावर-27 करोड़ रुपए, इंडिया मेटल्स एंड फेरो- 289 करोड़ रुपए, उड़ीसा पावर कंसोर्टियम- 49 करोड़ रुपए और सुजलोन इनर्जी- 983 करोड़ रुपए) है। उपर्युक्त राशियों को जोड़ने पर कुल राशि 11541 करोड़ रुपए है।

कैटव शाह: मेरा दूसरा प्रश्न आपके द्वारा प्रेजेंटेशन में आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान के विवरण से संबंधित है, क्या इसमें मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं?

एम के गोयल: मानक परिसंपत्तियों के लिए 236 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कैटव शाह: क्या यह केवल मानक परिसंपत्तियों के लिए किया गया प्रावधान है? एक अंतिम प्रश्न इस बात से संबंधित है कि ठीक अभी से चूंकि आपने आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के प्रभाव की गणना नहीं की है, तो क्या यह माना जा सकता है कि इसकी संख्या 10000 होगी अथवा इस संबंध में आपके पास कोई अन्य आंकड़े उपलब्ध हैं?

एम के गोयल: पहले हमें दिशानिर्देश देखने दें और फिर हम इसकी गणना कर सकेंगे कि सही संख्या क्या है?

कैटव शाह: एक अंतिम प्रश्न यह है कि इस क्षेत्र में संभवत: नकदी प्रवाह चक्र में सुधार देखा जा रहा है, अत: क्या आपने वर्तमान तिमाही के दौरान ही ऐसा घटित होते देखा है?

आर नागराजन: मैं आपको राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) के बारे में बताना चाहूंगा। तमिलनाडु का उदाहरण लें, तो इसके पास गत वर्ष विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने के लिए लगभग 15 माह की बकाया राशि थी और अब यह बकाया राशि केवल दो माह के लिए है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एफआरपी, टैरिफ में वृद्धि और विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रयासों से स्थिति में सुधार हो रहा है।

कैटव शाह: महोदय, हमने भी यह सुना है कि पीएफसी-आरईसी भी ऐसी परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने का विचार बना रहे हैं, जो एनपीए के रूप में परिवर्तित हो गई हैं अथवा उनका पुनर्गठन किया जा रहा है, क्या यह सही है?

एम के गोयल: नहीं, यह सही नहीं है। हम कोई भी ऐसी परिसंपत्तियां अधिग्रहित नहीं करना चाहते हैं।

कैटव शाह: धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न आईआईएफएल से हर्ष डोले की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

हर्ष डोले: मेरा प्रश्न निम्नानुसार है और यह मुख्य रूप से दो भागों में है। आप इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ऋण के वित्तीय पुनर्गठन के पश्चात प्रणाली के भीतर नकदी प्रवाह बढ़ जाएगा अथवा इसके बजाय प्रणाली में तरलता बढ़ जाएगी। क्या ऐसी स्थिति आपके जैसी कंपनी में भी बनेगी, क्या विद्युत की खरीद करने के लिए विशेष रूप से डिसकॉम को आपके द्वारा कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा?

एम के गोयल: यदि आप एफआरपी पर नजर डालेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को ऐसे ऋणकर्ताओं को कोई भी अल्पकालिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

हर्ष डोले: विशेष रूप से ऐसी स्थिति, जब हम प्रणाली में तरलता में सुधार की आशा कर रहे हैं तो इसका लाभ मूल रूप से 2015-16 के बाद ही प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ऐसे सभी बांड प्राय: दिसंबर के अंत तक ही जारी किए जाएंगे, क्या मेरा अनुमान उचित है?

एम के गोयल: यह सही नहीं है। योजना के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों ने सभी बैंकों और संस्थानों को बांड जारी कर दिए हैं जिससे कि 50% कार्य पहले ही पूरा किया जा सके । चिंता की बात केवल यह है कि एफआरबीएम सीमा के आधार पर एफआरपी के अनुसार राज्य सरकार इन बांडों का अधिग्रहण तब करेगी जब एफआरबीएम सीमा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार राज्य वितरण कंपनियों द्वारा बांड जारी किए गए हैं और जैसे ही एफआरबीएम सीमा शुरू होती है इन्हें राज्य सरकार के निकायों द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। इस समय तक ब्याज संबंधी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी। इसका आशय यह है कि वितरण कंपनियों के पक्ष में तरलता में सुधार होगा। यदि आप देखेंगे, एफआरपी में ब्याज संबंधी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी, भले ही बांड वितरण कंपनियों द्वारा क्यों न जारी किए जायें।

हर्ष डोले: दूसरा प्रश्न एसईबी स्तर पर समेकित हानियों से संबंधित है, यह बेहतर स्थिति है

कि वित्तीय पुनर्गठन में टैरिफ बढ़ाया जाता है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि वित्त वर्ष 2014-15 में 2012-13 की तुलना में हानियां काफी कम होंगी अथवा जैसा आपको ज्ञात है कि इन उपायों से क्या समेकित हानियां भी कम होंगी?

एम के गोयल: निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हानियां होंगी परंतु बहुत से सुधार कार्यक्रमों, जिनके बारे में आपको पहले भी बताया गया है जैसे आर-एपीडीआरपी का कार्यान्वयन और टैरिफ में नियमित रूप से वृद्धि आदि के परिणामस्वरूप हानियों के कम होने की आशा है। हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि आनेवाले समय में हानियां कम हो जाएंगी।

हर्ष डोले: धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न आईसीआरए से जसकीरत चड्ढा की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें ।

जसकीरत चड्ढा : महोदय, नमस्कार। मैं केवल इस बात की जांच करना चाहता हूं कि आपने पुन: अनुसूचित अथवा पुनर्गठित की जाने वाली राशि का उल्लेख 11540 करोड़ रुपए के रूप में किया है। क्या यह काफी हद तक निजी क्षेत्र की खाताबही से संबंधित है; इसके अलावा क्या इसमें अन्य सरकारी क्षेत्र को प्रदान की गयी राशि शामिल होगी जिसे पुन: अनुसूचित किया गया है और यह राशि कितनी होगी?

एम के गोयल: जहां तक हमारी विवेकपूर्ण शर्तों का संबंध है, तो हम पुन: अनुसूचित आंकड़ों में राज्य क्षेत्र को दिए गए ऋणों पर विचार नहीं करते। मैं आपको इसका कारण बताना चाहूंगा, सभी एसईबी के मामले में एक एस्क्रो राशि तैयार की जाती है जहां ऋणकर्ता का नकदी प्रवाह बनाए रखा जाता है और कभी-कभी जब कोई विशेष परियोजना शुरू नहीं होती है, तो ऋण के ब्याज और मूलधन का भुगतान संपूर्ण एस्क्रो खाते से किया जाता है। यही कारण है कि इसे पुन: अनुसूचियन, पुनर्गठन अथवा ऋण के पुन: मोलभाव के भाग के रूप में नहीं माना जाता है। एस्क्रो खाते के लिए राज्य विद्युत बोर्ड और ऋणकर्ता के साथ एक त्रिपक्षीय करार किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकदी प्रवाह बना रहे।

जसकीरत चड्ढा: एक और प्रश्न आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। वहां राज्यों के विभाजन की संभावना है, इस संबंध में आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश में जो विभाजन होनेवाला है, इससे ऋण की वसूली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अतीत में भी हमने यह देखा है जब अन्य राज्यों के विभाजन पर ऐसा घटित हुआ था, वहां देनदारियों को लेकर बहुत अधिक विवाद हुआ था। उन जिम्मेदारियों को कौन वहन करेगा, इसे आप किस प्रकार देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में जब यह विभाजन हो जाता है तो पैनिंग आउट की संभावना होगी या अतिरिक्त देयता बढ़ेगी?

एम के गोयल: अतीत में जब झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को क्रमश: बिहार और मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, तब विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए कौन जबावदेह होगा तथा इनका आवंटन जनसंख्या के आधार पर या परिसंपत्ति के आधार पर किया जाएगा। चूंकि ये सभी कार्य केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध किये जाते हैं, अत: ऋणों की वसूली तदनुसार की जाती है। जब कभी विवाद किसी राज्य को ऋणों के आवंटन से संबंधित होते हैं, तभी केवल हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्यथा ज्यादातर ऋण चाहे वे छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश या झारखंड या उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड हो को क्यों न स्वीकृत किए गए हों, के संबंध में हमें कोई समस्या नहीं हुई। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जारी किए गए दिशानिर्देशों के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और केंद्र सरकार द्वारा 11 वर्ष के बाद इस समस्या का समाधान किया गया। इसलिए आपके मुद्दे पर भली भांति गौर किया गया है कि इस संबंध में कुछ समस्या हो सकती है, परंतु संपूर्ण परिसंपत्ति को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा।

जसकीरत चड्ढा: एक विशिष्ट मुद्दा ओएनजीसी त्रिपुरा नामक परियोजना से संबंधित है, जिसे पुन: अनुसूचित किया गया है। क्या इस परियोजना के लिए गैस की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या है?

एम के गोयल: यह गैस की उपलब्धता से संबंधित मुद्दा नहीं है। समस्या केवल त्रिपुरा की भूमिगत अवस्थिति से संबंधित है, उपस्करों को सीधे त्रिपुरा नहीं ले जाया जा सका। उन्हें बांग्लादेश होकर त्रिपुरा ले जाना पड़ा। इस उद्देश्य से वहां उचित सेतु, सड़कें

उपलब्ध नहीं थी जिनका निर्माण करना पड़ा। इसके कारण परियोजना की स्थापना में विलंब हुआ और उसकी पुन: अनुसूची तैयार की गयी । परियोजना के दिसंबर में स्थापित होने की संभावना है। हालांकि त्रिपुरा में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और इस संबंध में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

जसकीरत चड्ढा: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एनम होल्डिंग्स से आदित्य सिंघानिया की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें ।

आदित्य सिंघानिया : महोदय, आपका धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न हैं। आपने उल्लेख किया है कि ऐसे दो राज्य हैं जो एफआरपी की शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं हैं। एक तो झारखंड और दूसरा नाम मैं सुन नहीं सका, क्या इस संबंध में आप मेरी सहायता कर सकते हैं?

आर नागराजन: क्या, इस संबंध में हमने अवगत कराया है कि दो राज्य अर्थात हिमाचल प्रदेश और मेघालय अपनी एफआरपी को अंतिम रूप दे रहे हैं। चार राज्य अर्थात झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक 31 मार्च 2012 के पश्चात राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन जैसी कुछ शर्तों को पूरा करने में आ रही समस्याओं के कारण एफआरपी में शामिल नहीं हो सकते हैं और उनकी कोई संचित हानियां नहीं हैं। एफआरपी के लिए विभिन्न शर्तों में से एक शर्त यह है कि राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन 31 मार्च 2012 के पहले होना चाहिए परंतु झारखंड के मामले में एसईबी का कुछ विभाजन 31 मार्च 2012 के पश्चात हुआ है जिसके कारण वह इस योजना में भाग नहीं ले सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर विद्युत मंत्रालय अपना दृष्टिकोण बना रहा है और यह इन राज्यों को विशेष छूट देने पर विचार कर रहा है जिससे कि इन राज्यों को भी एफआरपी का लाभ प्रदान किया जा सके ।

आदित्य सिंघानिया : क्षमा चाहता हूं, महोदय, ऐसे चार राज्य हैं, दो नहीं ।

एम के गोयल: चार राज्य, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ।

आदित्य सिंघानिया : ठीक है और क्या आपके द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को दी गयी स्वीकृति अथवा संवितरण में किसी प्रकार की कमी हुई थी?

एम के गोयल: नहीं, इन राज्यों को पारगामी ऋण के रूप में कोई स्वीकृति अथवा संवितरण नहीं किया गया
।

आदित्य सिंघानिया : उसमें नहीं, इसका आशय यह है कि आपको इस संबंध में कोई जोखिम नहीं है।

एम के गोयल: बिल्कुल नहीं।

आदित्य सिंघानिया : मैं सोचता हूं कि राज्यों की इस सूची में मध्य प्रदेश और पंजाब को भी शामिल होना चाहिए।

एम के गोयल: पंजाब और मध्य प्रदेश सूची में नहीं हैं। पंजाब यह चाहता था कि बांडों के लिए उसे अपफ्रंट लाभ दिए जाने चाहिए। मध्यप्रदेश की अल्पकालिक देयताएं कम थीं। इसी कारण से वह भी इसका इच्छुक नहीं था क्योंकि जब तक कि आपकी अल्पकालिक देयताएं और संचित हानियां बड़ी मात्रा में नहीं हैं, तो यह योजना लाभप्रद नहीं हो सकती हैं।

आदित्य सिंघानिया: क्या आप यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश एफआरपी में बिल्कुल भाग नहीं ले रहा है?

एम के गोयल: हां, मध्यप्रदेश एफआरपी में भाग नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी बकाया अल्पकालिक देयताओं की राशि बहुत ही कम है।

आदित्य सिंघानिया: महोदय, पंजाब इसमें भाग क्यों नहीं ले रहा है?

एम के गोयल: पंजाब निधयन के 25% का अपफ्रंट प्रोत्साहन चाहता था अर्थात् जब भी वह बांड का पुनर्भुगतान करे, वह केंद्र सरकार से 25% नकदी प्रवाह की अपेक्षा कर रहा था जिस पर सहमति व्यक्त नहीं की गयी। इसलिए वह इसमें भाग नहीं ले रहा है।

आदित्य सिंघानिया: ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न मार्जिन से संबंधित है, मेरा अनुमान है कि आपका मार्जिन अभी की तुलना में हमेशा अधिक रहेगा जबकि मैं उन चालकों के बारे में समझता हूं, क्या आप हमें इस बात की जानकारी देंगे कि हम इस संबंध में क्या उम्मीद कर सकते हैं?

एम के गोयल: हम संभावित मार्जिन अथवा लाभ के बारे में जानकारी नहीं दे सकते; हम अपनी कंपनी के प्रत्येक प्रचालन में बेहतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आदित्य सिंघानिया: महोदय, धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद । अगला प्रश्न आनंद राठी से कैटभ शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

कैटभ शाह: वास्तव में मैं केवल इस बात की जांच करना चाहता हूं कि आपके बकाया ऋण की बही के साथ-साथ संवितरण दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, अत: क्या ये ऋण प्राकृतिक दृष्टि से अधिक अल्पकालिक हैं अथवा ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें पीछे से समर्थन प्राप्त हैं?

एम के गोयल: निजी क्षेत्र को दिए गए सभी ऋण परियोजना परिसंपत्ति के वित्तपोषण से संबंधित हैं।

कैटभ शाह: पीछे से समर्थन प्राप्त परिसंपत्ति। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अब और कोई प्रश्न नहीं है। मैं समापन टिप्पणी के लिए डायस पर श्री अभिषेक मुरारका को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री मुरारका कृपया आगे आएं।

अभिषेक मुरारका: महोदय, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए और सभी प्रतिभागियों को इस कांफ्रेंस कॉल में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगली तिमाही में हम फिर मिलेंगे और अगली तिमाही के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।

एम के गोयल: धन्यवाद, अभिषेक ।

मॉडरेटर: धन्यवाद। आईआईएफएल कैपिटल लिमिटेड की ओर से आयोजित इस कांफ्रेंस का समापन किया जाता है। हमारे बीच उपस्थिति होने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी लाइनें काट सकते हैं।

नोट: पठनीयता और उपयुक्तता में सुधार के लिए इस दस्तावेज का संपादन किया गया है।